न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक आर.एन. 10-4/आर/293/95 विरुद्ध आदेश दिनांक [illegible] पारित द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 1[illegible]/बी-[illegible]/93-94

बैजनाथराम तनय शोभानाथराम
निवासी ग्राम पड़रा तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म.प्र.

.........आवेदक

विरूद्ध

मेंहुआ पुत्र मुन्डा चमार,
निवासी पड़रा तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म.प्र.

.........अनावेदक

श्री एस. के. अवस्थी अभिभाषक आवेदक
श्री आर.डी. शर्मा [illegible]

आदेश

(आज दिनांक [illegible] को पारित)

यह निगरानी कमिश्नर [illegible] रीवा [illegible] प्रकरण [illegible] 1[illegible]/बी-121/93-94 में पारित आदेश दिनांक 8-3-95 के [illegible] राजस्व [illegible] संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता [illegible]) [illegible] है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक [illegible] न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया [illegible] 2.078 हैक्टर के जुज रकबा [illegible] उक्त भूमि के भूमिस्वामी बुद्धा [illegible] करा लिया है। उक्त आराजी [illegible] अभिलेख [illegible] रहा है अतः इन्द्राज [illegible] दिनांक 20.1.92 को [illegible]

संहिता की धारा 115 के तहत प्रचलित किए जाने की स्वीकृति दी । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर के समक्ष निगरानी पेश की जो उन्होंने 25–8–92 के आदेश द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण हैं । संहिता की धारा 32 प्रस्तुत प्रकरण से असबंधित है । खसरा तैयारी के समय जो कार्यवाही पटवारी द्वारा की जाती है वह नियमों के तहत है । तहसीलदार ने संहिता की धारा 115 के तहत कार्यवाही करने का जो आदेश दिया है वह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण आलोच्य भूमि पर आधिपत्य लिखे जाने के संबंध में है प्रकरण में तहसीलदार ने जिलाध्क्ष को दिए गए आवेदन पर जो उनके पास जिलाध्यक्ष की ओर से भेजा गया था जांच कराकर आगे कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया आयुक्त ने अपने आदेश में यह माना है कि प्रकरण में संहिता की धारा 115 तथा 116 के तहत कार्यवाही नहीं हुई है और संहिता की धारा 121 में भू–अभिलेखों के लिए जो नियम बने हैं उसके अंतर्गत पटवारी द्वारा स्थानीय जांच एवं वास्तविक निरीक्षण के उपरान्त प्रविष्टि के जो आदेश है उसके संबंध में आयुक्त ने मत व्यक्त किया है कि पटवारी द्वारा इस संबंध में गलत कब्जेदार का इन्द्राज करते थे इस पर रोक लगाने के लिए शासन ने नियम बनाए हैं और इसके अनुसार जांच आवश्यक है और यह जांच प्रस्तुत संहिता की धारा 32 के अंतर्गत की जाती है । उनका यह निष्कर्ष उचित है कि कब्जा लिखने की कार्यवाही संहिता की धारा 115 तथा 116 के तहत नहीं होती । आयुक्त ने जांच के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय को सही माना है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आयुक्त द्वारा जो अभियुक्तियां की गई हैं वे अपने स्थान पर सही हैं इसलिए उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार न होने के कारण यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर